न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभान सिंह भाटी आर.ए.एस.

रसद विविध :: 265/2018 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018/00358 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रानी		मो. युसुफ पुत्र सलीम मोहम्मद, निवासी रानी, तहसील रानी हाल मालिक मै. मुसालिया ऑटो रिपेयर, केनपुरा रोड, न.पा. रानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 12/07/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरो को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफलींग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 02.06..2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश बिश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.), श्री कमल कुमार पंवार, प्रवर्तन निरीक्षक पाली के साथ संयुक्त रूप से रानी स्थित मैसर्स मुसालिया ऑटो रिपेयर, जिला पाली (राज.) पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी मो. युसुफ पुत्र सलीम मोहम्मद उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान मो. जहीर पुत्र मो. युसुफ निवासी चौधरियों का बास, रानी एवं श्री अचलसिंह पुत्र बालूसिंह निवासी पुनाडिया की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आईओसी कम्पनी का जो 14.11 किग्रा गैस भरी हुई एवं 7 बी.पी.सी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) के जिनमें से चार खाली व तीन में क्रमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा व 13.900 किग्रा गैस भरी हुई पाये गए। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए, न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स सतगुरू गैस सर्विस, फालना के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु फिरोज अली पुत्र रूस्तम अली, निवासी सुभाष रोड, फालना हाल डिलीवरी मैन मैसर्स सतगुरू गैस सर्विस, फालना को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान के बाहर 8 गैस सिलेण्डर रखे हुए थे, जिसका अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर उसके नहीं थे, उक्त सिलेण्डर रिफलींग करने हेतु उसके प्रतिष्ठान के सामने रखे थे। लेकिन जिला रसद अधिकारी द्वारा उनको अप्रार्थी का बताते हुए जब्त कर दिया तथा कार्यवाही की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए, सिलेण्डरों को रिलीज करवावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आईओसी कम्पनी का जो 14.11 किग्रा गैस भरी हुई एवं 7 बी.पी.सी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) के जिनमें से चार खाली व तीन में क्रमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा व 13.900 किग्रा गैस भरी हुई उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स मुसालिया ऑटो रिपेयर केनपुरा रोड नगर पालिका रानी, जिला पाली में पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए है, साथ पत्रावली संलग्न फोटो से भी यह स्पष्ट है कि उक्त सिलेण्डर उसी के प्रतिष्ठान से जब्त किए गए है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की प्रतिष्ठान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग के नहीं है तथा अप्रार्थी अवैध रूप से उक्त गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करता था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी मो. युसुफ द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आईओसी कम्पनी का जो 14.11 किग्रा गैस भरी हुई एवं 7 बी.पी.सी. कम्पनी घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) के जिनमें से चार खाली व तीन में क्रमशः 14.400 किग्रा, 14.100 किग्रा व 13.900 किग्रा गैस भरी पाये गए को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को तथा अन्य सामग्री को नीलाम कर उससे प्राप्त समस्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/07/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली